राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4416/2024

1. गिर्राज बंसल, ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्राइवेट के निदेशक, पता आईआईटीएम कॉलेज, हजीरा पुलिस स्टेशन के पास, मोरेनो लिंक रोड ना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

2. केतन बंसल, ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, पता आईआईटीएम कॉलेज, हजीरा पुलिस स्टेशन के पास, मोरेनो लिंक रोड ना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

3. अखिलेश पुत्र पुरुषोत्तम दास, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 605 ब्लॉक ए, गुलमोहर सिटी, सिटी सेंटर, जीएसटी बिल्डिंग के पास, गिर्ड ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पीपी के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जयपाल चौधरी।

श्री हितेश कुमार।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री अरुण कुमार, पीपी।

सुश्री कमला गोस्वामी, पी.पी.

श्री सचिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में

श्री प्रीतम जोशी एवं

श्री करण परिहार.

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

12/07/2024

1. यह याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला गंगानगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 0005/2024 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका है।

2. मैं अभियोजन पक्ष के मामले के प्रासंगिक पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख कर सकता हूं, जैसा कि एफआईआर के आरोपों से उभर कर सामने आया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि शिकायतकर्ता फर्म कृषि वस्तुओं का कारोबार करती है। आरोपी कंपनी "ओम श्री शुभ लाभ एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड" के निदेशक गिर्राज बंसल, केतन और अखिलेश हैं। कंपनी अपने निदेशकों के माध्यम से कृषि वस्तुओं की खरीद करती है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ किए गए लेन-देन का क्रेडिट खाता 1 अप्रैल, 2020 से चल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 तक, शिकायतकर्ता पर आरोपी द्वारा कुल 6,71,92,431.25 रुपये बकाया थे। कंपनी के तीनों निदेशकों ने इस ऋण को

स्वीकार किया तथा शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। उन्होंने इस भुगतान के लिए 12 दिसंबर 2023 की तारीख वाले 5 करोड़ रुपए का चेक जारी किया। हालांकि, बैंक में जमा करने पर चेक अनादरित हो गया। इस तरह, आरोपी ने जानबूझकर माल हड़प कर तथा शिकायतकर्ता से उधार पर खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान न करके आपराधिक विश्वासघात किया है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई तथा मामले की जांच की जा रही है।

3. सबसे पहले याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री जयपाल चौधरी तथा श्री हितेश कुमार ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि दोनों पक्ष 01.04.2020 से व्यापारिक लेन-देन में थे; पक्षों के बीच पूरा विवाद उनकी बिक्री के खिलाफ कथित अतिरिक्त दावा राशि से संबंधित है; याचिकाकर्ता वास्तविक देय राशि (अर्थात 3,12,56,652/- रुपए) से अधिक भुगतान करने के लिए सहमत नहीं थे; शिकायतकर्ता ने सुरक्षा चेक का दुरुपयोग करके यह झूठी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है; दोनों पक्ष व्यापार कर रहे थे और उक्त उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता कंपनी ने सुरक्षा चेक के रूप में कुछ खाली चेक लिए; मामला पूरी तरह से सिविल और वाणिज्यिक विवाद से संबंधित है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादे से शिकायतकर्ता ने इस एफआईआर को दर्ज करके इसे आपराधिक रंग दे दिया है; धोखाधड़ी या जालसाजी का कोई अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि लेन-देन की शुरुआत से ही कोई बेईमान इरादा नहीं था; याचिकाकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और उसने 18.01.2024 को एक अभ्यावेदन भी दिया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए तैयार हैं।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है; याचिकाकर्ताओं पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है और याचिकाकर्ताओं से कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है;

उनका पिछला इतिहास बेदाग है; याचिकाकर्ताओं को झूठे मामले में उनकी गिरफ्तारी की आशंका है।

5. इसलिए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा किया:

1. जय श्री और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 14423/2023, 19 जनवरी, 2024 को तय)

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सचिन आचार्य की सहायता से याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि केवल इसलिए कि सिविल उपाय उपलब्ध है, आपराधिक अभियोजन को प्रारंभिक चरण में विफल नहीं किया जा सकता है। तत्काल आपराधिक मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाना चाहिए और सिविल उपाय की उपलब्धता को अग्रिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

7. यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अब तक एकत्रित सामग्री के आधार पर, जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता बड़ी राशि की धोखाधड़ी और विश्वासघात के अपराधों के दोषी हैं।

8. अंत में, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

1. लेखराम @ लकी बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 7699/2024, 01.07.2024 को तय)

2. तरुण कुमार बनाम। राजस्थान राज्य (एस.बी. आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 7312/2024, 01.07.2024 को निर्णय लिया गया)

3. रतन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 7700/2024,01.07.2024 को निर्णय लिया गया)

4. के. जगदीश बनाम उदय कुमार जी.एस. एवं अन्य [(2020) 14 एससीसी 552)

9. मैंने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर गहनता से विचार किया है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री पर गहनता से विचार किया है।

10. अग्रिम जमानत प्रदान करने के मापदंडों का निर्धारण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य (2016) 1 एससीसी 152 में सम्पूर्ण कानून का विश्लेषण करने के पश्चात निम्नांकित टिप्पणी की है:-

(क) आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त की वास्तविक भूमिका को गिरफ्तारी से पूर्व उचित रूप से समझा जाना चाहिए;

(ख) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या अभियुक्त ने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास की सजा काटी है;

(ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(घ) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना;

(ङ) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

(च) अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रभाव, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं;

(छ) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया जाता है, उन मामलों में न्यायालय को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अतिशयता सर्वविदित और चिंता का विषय है;

(ज) अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात्, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और अभियुक्त को परेशान करने, अपमानित करने और अनुचित हिरासत में रखने से बचना चाहिए;

(झ) न्यायालय को गवाह के साथ छेड़छाड़ करने या शिकायतकर्ता को धमकी दिए जाने की उचित आशंका पर विचार करना चाहिए;

(ज) अभियोजन में हमेशा तुच्छता पर विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

11. उपर्युक्त कथन को इस मामले में लागू करते हुए और दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने तथा केस डायरी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में, तथ्यों का एक ही सेट सिविल और साथ ही आपराधिक कार्यवाही में उपचारों को जन्म दे सकता है और यहां तक कि अगर किसी पक्ष द्वारा सिविल उपचार

का लाभ उठाया जाता है, तो उसे आपराधिक कानून में कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका जाता है। दोनों उपचार परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से सह-व्यापक हैं और अनिवार्य रूप से उनकी सामग्री और परिणाम में भिन्न हैं। आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना है।

12. यह मानना गलत है कि जब सिविल उपाय उपलब्ध है, तो आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित है। दोनों प्रकार की कार्रवाइयां विषय-वस्तु, दायरे और आयात में काफी भिन्न हैं। कई धोखाधड़ी वाणिज्यिक और पैसे के लेन-देन के दौरान भी की जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत दिया गया उदाहरण "एफ" ध्यान देने योग्य है:

> (एफ) "ए" जानबूझकर "जेड" को यह विश्वास दिलाकर धोखा देता है कि "ए" का मतलब "जेड" द्वारा उसे दिए गए किसी भी पैसे को चुकाना है और इस तरह बेईमानी से "जेड" को पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, "ए" इसे चुकाने का इरादा नहीं रखता। "ए" धोखा देता है।"

13. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा है कि उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि प्रतिवादी भुगतान का सम्मान करेगा और शिकायतकर्ता को बाद में एहसास हुआ कि प्रतिवादी के इरादे स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि माल प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी ने पैसे का भुगतान नहीं किया। अपराध की आय 6,71,92,431.25 रुपये है। इस तरह के कथन प्रथम दृष्टया अधिकारियों द्वारा जांच के लिए एक मामला बनाते हैं। यदि आरोप एक सिविल विवाद का खुलासा करता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

14. मेरे विचार में, चूंकि मामला अभी शुरूआती चरण में है और जांच चल रही है, इसलिए यदि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जाती है तो यह जांच को व्यावहारिक रूप से बाधित करेगा, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता भारी मात्रा में गंभीर अपराध में शामिल हैं।

15. उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध स्थापित मामले और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखते हुए, यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि यह याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है। न्यायालय याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन तदनुसार खारिज किया जाता है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर जो भी चर्चा की गई है या जो कुछ भी कहा गया है वह इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले के गुण-दोष पर किसी अभिव्यक्ति या राय के बराबर नहीं होगा।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।